नवीकरण प्रमाण पत्र कमांक 133566

प्रारूप – 9

नियम 8 (2) देखिये

संख्या 5712 दिनांक 28-1-19

सोसाइटी के नवीकरण का प्रमाण–पत्र
(अधिनियम संख्या 21 , 1860 के अधीन)

नवीकरण संख्या 2449 पत्रावली संख्या एजी–14602 दिनांक 1993-1994

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि श्रीकृष्ण विद्या मन्दिर शिक्षा सोसाइटी, गांव हुलवाना पो0 कादौना तह0 छाता जिला–मथुरा। को

742 / 1993–94 15-03-1993

दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र .....दिनांक ..... को दिनांक 15-03-2018 ..... से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीकृत किया गया है ।

1300 .....रूपये की नवीकरण फीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है ।

25-01-2019

जारी करने का दिनांक.....

सोसाइटी के रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश

स्मृति - पत्र

1- संस्था का नाम — श्री कृष्ण विद्या मन्दिर शिक्षा सोसाइटी ✓

2- संस्था का पता — गाँव हुलवाना पो० कादौना तह० छाता मथुरा

3- संस्था का कार्यक्षेत्र — गाँव हुलवाना व जिला मथुरा होगा ।

4- संस्था के उद्देश्य —
1- बच्चों का विकास करना । ✓
2- निरक्षरता को समाप्त करना । ✓
3- शिक्षा का प्रचार व प्रसार करना । ✓

5- प्रबन्ध समिति के सदस्यों का व पदाधिकारियों के नाम, पते, व्यवसाय व पद संस्था के नियमों के अनुसार कार्यभार सौंपा गया

क्र०सं० नाम	पता	पद	व्यवसाय
1- श्री जवाहर सिंह	मौ० गांगवान कोसीकलां	संचालक	खेती
2- श्री रामप्रसाद	हुलवाना तह० छाता (मथुरा)	सभापति	नौकरी
3- श्री कौशल किशोर	" " "	उपसभापति	दुकान
4- ~~श्री [illegible]~~	" " "	~~कोषाध्यक्ष~~	
4- श्रीमति रामा देवी	" " "	कोषाध्यक्ष	खेती
5- श्री भंवरसिंह	" " "	मैनेजर	"
6- श्री प्रेमसिंह	मौ० गांगवान कोसीकलां	उपमैनेजर	दुकान
7- राजेश	हुलवाना पो० कादौना छाता (मथुरा)	सदस्य	खेती
8- श्री दुलीचन्द	" " "	"	"
9- श्री देवीसिंह	" " "	"	"
10-श्री भारतो	" " "	"	"
11- दिगम्बरसिंह	गांगवान मौ० कोसीकलां	"	"

हम निम्नलिखित हस्ताक्षरकर्ता उपर्युक्त स्मृति पत्र के अनुसार सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 21 सन 1860 के अंतर्गत रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं ।

1- संचालक   2- सभापति

3- उप सभापति Kaushal Kishore   4- कोषाध्यक्ष Rama Devi

5- मैनेजर Bhanwar Singh   6- उप मैनेजर

7- सदस्य राजेश कुमार   8- Dulichand

9- Devi Singh   10-

11-

दिनांक- 6/8/93

सत्य प्रतिलिपि
उप निबंधक
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
आगरा मंडल, आगरा
17/4/11

प्रबन्धक
श्री कृष्ण विद्या मन्दिर शिक्षा समिति
ग्राम हुलवाना पो० कादौना
छाता (मथुरा)

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 55AB 554213

यह जनरल स्टाम्प पेपर श्रीकृष्ण शिक्षा समिति शिक्षा सोसाइटी
ग्राम इस्लामाबाद पोस्ट कोसीकलां तहसील छाता /
फाइल नं० 14602
जिला मथुरा के साथ संलग्न है।
संशो० नियमावली

कार्यालय उप निबन्धक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
सत्यमेव जयते
उत्तर प्रदेश, आगरा

उप निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
आगरा मंडल, आगरा
30712

संशोधित नियमावली

1– संस्था का नाम – श्री कृष्ण विद्या मंदिर शिक्षा सोसाइटी,
2– संस्था का पता – ग्राम हुलवाना पोस्ट कादौना तहसील छाता जिला–मथुरा
3– संस्था का कार्यक्षेत्र – समस्त कोसी कलॉ व जिला मथुरा होगा ।
4– संस्था के उद्देश्य – संलग्नक स्मृति पत्र के अनुसार ही होंगे।
5– संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग–

जो व्यक्ति इस समिति को तन,मन,धन से सेवा करेगा तथा नियमों–विनियमों में आस्था रखते होंगे उन्हें इस समिति का सदस्य बनाया जायेगा तथा सदस्यो के निम्न वर्ग होंगे–

अ– **आजीवन सदस्य–**
जो व्यक्ति 500/– रूपया एक मुश्त दान मे देगा वह इस सोसाइटीज का आजीवन सदस्य होगा ।

ब– **विशिष्ट सदस्य–**
जो व्यक्ति इस सोसो0 को विशेष रूप से सहयोग प्रदान करेगा तथा जिसकी इस सोसाइटीज में विशेष आवश्यकता समझी जाये, उन्हें अथवा जो विद्वान होंगे सरकार द्वारा सम्मानित एवं उपाधि प्राप्त होंगे उन्हें इस समिति का विशिष्ट सदस्य एक वर्ष के लिये मनोनीत किया जायेगा । मताधिकार का अधिकार न होगा ।

स– **सामान्य सदस्य–**
जो व्यक्ति इस समिति को 21 रूपया प्रति वर्ष सदस्यता शुल्क के रूप में देगें उन्हें इस समिति का सामान्य सदस्य बनाया जायेगा ।

6–सदस्यता की समाप्ति–

मृत्यु हो जाने पर, पागल हो जाने पर, दिवालिया घोषित किये जाने पर, किसी न्यायालय द्वारा दण्डित किये जाने पर, सदस्यता शुल्क समय से न देने पर, संस्था की लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहने पर, त्याग पत्र स्वीकृत किये जाने पर, संस्था विरोधी कार्य करने पर , सदस्यता स्वतः समाप्त हो जायेगा ।

7–संस्था के अंग–

संस्था के दो अंग हैं–
अ– साधारण सभा ब– प्रबन्धकारिणी समिति ।

8–साधारण सभा–

अ– **गठन–**
साधारण सभा का गठन संस्था के सभी प्रकार के सदस्यों को मिलाकर किया जायेगा।

ब– **बैठकें–**
साधारण सभा की सामान्य बैठकें वर्ष में दो होगी तथा विशेष बैठकें आवश्यकतानुसार किसी भी सदस्य को सूचना देकर बुलाई जायेगी ।

स– **सूचना अवधि–**
साधारण सभा की सामान्य बैठकों की सूचना सदस्यों को 10 दिन पूर्व तथा विशेष बैठक की सूचना सदस्यों को 3 दिन पूर्व सूचना के किसी भी माध्यम से दी जायेगी।

द– **गणपूर्ति–**
गणपूर्ति के लिये कुल सदस्यों की 2/3 सदस्यों की उपस्थिति का कोरम होगा। कोरम के अभाव में बैठक स्थगित कर दी जायेगी । स्थगित बैठक पुनः 3 दिन बाद बुलाई जायेगी।

...2...पर

य— **विशेष वार्षिक अधिवेशन की तिथि—**
संस्था का विशेष वार्षिक अधिवेशन की तिथि संस्था की प्रबन्धकारिणी समिति के बहुमत से तय की जायेगी।

र— **साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्य—**

1— संस्था की उन्नति एवं विकास हेतु कार्य करना ।
2— संस्था की कार्यकारिणी समिति का निर्वाचन करना ।
3— संस्था के विकास हेतु केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, समाज कल्याण विभाग, सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, वित्तीय संस्थानों आदि से दान, अनुदान, चन्दा आदि प्राप्त करना ।
4— संस्था का वार्षिक बजट पास करना ।
5— संस्था के नियमों—विनियमों में संशोधन,परिवर्तन, परिवर्धन 2/3 बहुमत से करना।

9—प्रबन्धकारिणी समिति—

अ— **गठन—**
प्रबन्धकारिणी समिति का गठन संस्था की साधारण सभा में से बहुमत से 11 सदस्यों को चुनकर किया जायेगा ।प्रबन्धसमिति में एक संचालन, एक सभापति, एक उपसभापति, एक मैनेजर, एक उपमैनेजर, एक कोषाध्यक्ष तथा शेष 5 सदस्य होंगे। प्रबन्धसमिति की संख्या आवश्यकतानुसार किसी भी समय घटाई या बढाई जा सकती है।

ब— **बैठकें—**
प्रबन्धसमिति की सामान्य बैठकें वर्ष में तीन होंगी तथा इस विशेष बैठक की सूचना सदस्यों को किसी भी सदस्य को सूचना देकर बुलाई जायेगी।

स— **सूचना अवधि—**
प्रबन्ध समिति की सूचना सदस्यों को 10 दिन पूर्व तथा विशेष बैठक की सूचना सदस्यों को एक दिन पूर्व सूचना के किसी भी माध्यम से दी जायेगी ।

द— **गणपूर्ति—**
गणपूर्ति के लिये कुल सदस्यों की 2/3 सदस्यों की उपस्थिति का कोरम होगा ।

य— **रिक्त स्थान की पूर्ति—**
प्रबनधसमिति में यदि कोई आकस्मिक स्थान रिक्त हो जाता है तो इस स्थान की पूर्ति प्रबनधकारिणी समिति के बहुमत से साधारण सभा में से शेष कार्यकाल के लिये कर कर दी जायेगी।

र— **प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार एवं कर्तव्य—**

1— संस्था की उन्नति एवं विकास हेतु कार्य करना ।
2— संस्था के विवादों को सुलझाना ।
3— सरथा के नियमों, विनियमों में संशोधन, परिवर्तन, परिवर्धन 2/3 बहुमत से करना।
4— वार्षिक बजट बनाना ।
5— अन्य वे सभी विकासार्थ कार्य करना जो संस्था के हित में हों ।

ल— **कार्यकाल—**
प्रबन्धसमिति का कार्यकाल पॉच वर्ष का होगा ।

Bhanwar singh
Jawahar singh
देवी सिंह
प्रेम सिंह

सत्य प्रतिलिपि
उप निबंधक
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
आगरा मं०, आगरा
30/12

.....3..पर

10– पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य–

1– अध्यक्ष–

संस्था के समस्त प्रकार की बैठकों की अध्यक्षता करना, बैठकों को बुलाना व स्थिगित करना, किसी विचार ग्रस्त विषय पर समान मत होने पर अपना एक निर्णायक मत देना । संस्था की आम देखभाल करना ।

2– उपाध्यक्ष–

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके द्वारा सोंपे गये कार्यो को करना, सामान्य स्थिति में उनका सहयोग करना ।

3– संचालक–

संस्था के समस्त कार्यो की देखभाल करना तथा उसे अपने प्रबन्ध तन्त्र में संचालित करना एवं संचालक की हैसियत से कार्य करना ।

4– मैनेजर–

संस्था की समस्त प्रकार की कार्यवाहियों को लिखना एवं समस्त प्रकार का पत्र व्यवहार करना, चल व अचल सम्पत्ति की सुरक्षा करना । हस्तान्तरण सम्बन्धित प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करना ।संस्था की ओर से अदालती कार्यवाही करना एवं अभिलेखों को सुरक्षित रखना एवं दान, अनुदान, आदि प्राप्त करना ।

6– कोषाध्यक्ष–

1– संस्था के समस्त प्रकार के आय–व्यय का लेखा–जोखा रखना ।

2– संस्था की प्रबन्ध समिति द्वारा हस्ताक्षरित बिलों का भुगतान करना ।

3– संस्था के अध्यक्ष व मैनेजर द्वारा सोंपे गये कार्यो को करना ।

11–संस्था के नियमों–विनियमों में संशोधन प्रक्रिया–

संस्था के नियमों–विनियमों में संशोधन, परिवर्तन, परिवर्धन 2/3 बहुमत से सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 12 के अनुसार करना ।

12–संस्था का कोष एवं आय–श्रोत–

संस्था का कोष किसी भी मान्यता प्राप्त बैंक या राष्ट्रीयकृत अथवा पोस्ट ऑफिस में संस्था के नाम से खाता खोलकर जमा किया जायेगा जिसका संचालन संस्था के मैनेजर के हस्ताक्षर से किया जायेगा ।

उद्देश्यों की पूर्ति हेतु केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, समाज कल्याण विभाग, सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, नागरिकों, वित्तीय संस्थानों आदि के दान, अनुदान, सें चन्दा आदि प्राप्त करना ।

13–संस्था का लेखापरीक्षण ऑडिट –

संस्था का लेखाा परीक्षण आडिट प्रति वर्ष सत्र समाप्ति पर कराया जायेगा ।

14–संस्था द्वारा अथवा उसके विरूद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व–

संस्था द्वारा अथवा उसके विरूद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन की पैरवी संस्था के मैनेजर द्वारा की जायेगी ।

15–संस्था के अभिलेख–

1– कार्यवाही रजिस्टर

2– सदस्यता रजिस्टर

3– लेजर कैश बुक एवं एजेण्डा रजिस्टर

4– निरीक्षण रजिस्टर ।

16– संस्था का विघटन –

संस्था का विघटन और विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसा0 रजि0 अधि0 की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी ।

17–प्रतिबन्ध–

11. प्रतिबन्ध –

1. विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय–समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
2. विद्यालय के प्रबन्धसमिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
3. विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मेधावी बच्चों के लिये सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिये निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जावेगा ।
4. संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की माँग नहीं की जावेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सैन्ट्रल बोर्ड ऑफ सैकेन्ड्री एजूकेशन नई दिल्ली काउन्सिल फॉर दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट एक्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः ही समाप्त हो जायेगा
5. संस्था के शिक्षण तथा शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षणसंस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमान्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नही दिये जायेंगे ।
6. कर्मचारियों की सेवा शर्त बनाई जावेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमान्य सेवा निवृत्ति लाभ उपलब्ध कराये जायेंगें।
7. राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगें संस्था उनका पालन करेगी ।
8. उक्त प्रतिबन्धों में बिना शासन की पूर्व अनुमति के कोई परिवर्तन,परिवर्धन/संशोधन नहीं किया जायेगा ।
9. विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/ पंजिकाओं में रखा जायेगा ।
10. उत्तर प्रदेश शिक्षा सहिता की धारा 105 से 107 के अन्तर्गत विभिन्न दर्गो के छात्रों को अनुमन शुल्क मुक्ति संस्था के छात्रों को प्रदान की जायेगी ।

यदि हॉ तो कृपया प्रबन्धकारिणी का इस आशय का प्रस्ताव संलग्न करें कि विद्यालय को विभाग/शासन के सभी प्रतिबन्ध क्रम 1 से 10 तक स्वीकार हैं।

Bhanwor Singh

Jawahar Singh

देवी सिंह

प्रेम सिंह

दिनांक 12/7/12

सत्यप्रतिलिपि

सत्य प्रतिलिपि

उप निबंधक
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
आगरा क्षेत्र, आगरा
30/7/12